

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)**

पीठासीन अधिकारी:- प्रीतम कुमार, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना-पत्र संख्या:- 101/2025

जीसीएमएस सं. :- 2025/274

प्रार्थी:- रेखा कंवर पुत्री स्व. श्री हरिसिंह पत्नी श्री प्रेमसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी-163, पुरोहितों का बास, लोरडी पण्डित जी, तहसील व जिला जोधपुर।

**बनाम**

अप्रार्थी:- तहसीलदार, जोधपुर।

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956**

**आदेश**


**दिनांक:- 18.03.2026**

उपस्थिति:- प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शैतान सिंह राजपुरोहित।  
अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार


प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर बताया गया कि मौजा **दईकडा**, पटवार **हल्का दईकडा**, भू.अ.नि. **दईकडा**, तहसील **जोधपुर** जिला **जोधपुर** के **खसरा सं. 316/1** तथा **खसरा सं. 252** में वह खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में **राकेशकंवर पुत्री हरीसिंह** दर्ज है। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि प्रार्थी का सही का नाम **रेखा कंवर पुत्री हरीसिंह** है, साक्ष्य के तौर पर स्वयं/पिता का उनके द्वारा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड राशनकार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बैंक पास बूक, पेश किये गये हैं एवं निवेदन किया गया कि उसका/पिता का नाम **रेखा कंवर पुत्री हरीसिंह पत्नी प्रेम सिंह** अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्धिकरण किया जावे।

भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर द्वारा जवाब पेश कर स्वीकार किया गया कि प्रार्थी का नाम प्रार्थना-पत्र अनुसार स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना-पत्र व जवाब के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी नाम **राकेशकंवर पुत्री हरीसिंह** मौजा **दईकडा**, पटवार **हल्का दईकडा**, भू.अ.नि. **दईकडा**, तहसील **जोधपुर** जिला **जोधपुर** के **खसरा सं. 316/1** तथा **खसरा सं. 252** राजस्व रेकॉर्ड में **रेखा कंवर पुत्री हरीसिंह** अंकित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड नाम शुद्धि किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते हैं।

  
प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक **18/3/26** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जोधपुर (उत्तर)